बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Date: 10.05.2021

सभी स्टाफ पेंशनभोगियों के लिए नोटिस

विषय: बैंक ऑफ़ बड़ौदा पेंशनभोगी स्टाफ से आयकर गणना हेतु निवेश की घोषणा

सरकार द्वारा आरंभ किए गए कर सुधारों को ध्यान में रखते हुए कर विकल्प के चयन और निवेश घोषणा प्रस्तुत करने में कुछ परिवर्तन किए गए हैं. पूर्व-कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से निवेश घोषणा ऑनलाइन प्रस्तुत करने के विकल्प की शुरुआत की गई है. पेंशनभोगियों को पुरानी कर व्यवस्था 2021 या नई कर व्यवस्था 2021 चुनने के लिए अपने विकल्प का चयन करना होगा.

कृपया नोट करें कि **एक बार विकल्प का चयन** करने के बाद, जिन्होंने पुरानी कर व्यवस्था को चुना है, उन्हें निवेश घोषणा प्रस्तुत करनी होगी और जिन्होंने नई कर व्यवस्था को चुना है, उन्हें निवेश घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी.

कर व्यवस्था से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश पूर्व-कर्मचारी पोर्टल पर उपलब्ध है.

कृपया नोट करें कि पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प का चयन करने के बाद इसे टीडीएस गणना के लिए वित्त वर्ष के दौरान नहीं बदला जा सकता. यदि किसी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि पुरानी कर व्यवस्था जारी है.

पेंशनभोगी पूर्व-कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से स्वयं निवेश की घोषणा ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं और उक्त के आधार पर आयकर की गणना प्रधान कार्यालय, बड़ौदा में केंद्रीकृत रूप से की जाएगी.

यूआरएल: https://easiest.bobinside.com:8443/ex_empModule/Login.aspx कंप्यूटर/ और ऐन्ड्रॉइड/ आईओएस स्मार्ट फोन से इन्टरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है. शाखाओं को पेरोल मॉड्यूल में कोई प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है.

पोर्टल प्रत्येक महीने की 25 तारीख तक विकल्प चुनने और प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध होगा. 25 तारीख के बाद पूर्व-कर्मचारी पोर्टल में निवेश मेनू को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और इसे अगले महीने की 02 तारीख को उपलब्ध कराया जाएगा. तदनुसार टीडीएस काटने हेतु आयकर देयता की गणना की जाएगी.

हालांकि, पेंशनभोगियों को जनवरी माह में पोर्टल में घोषित निवेश के साक्ष्य को **पेंशन भुगतानकर्ता शाखा** में प्रस्तुत करना होगा. यदि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो की गई घोषणा को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए पेंशन पर टीडीएस की गणना की जाएगी और जनवरी से मार्च तक देय पेंशन से इसकी कटौती की जाएगी.

शाखाओं को निम्नलिखित कार्य बिंदुओं को सुनिश्चित करना होगा:

प्रधान कार्यालय, मानव संसाधन-परिचालन विभाग, बड़ौदा भवन, आर.एस नं 576, आर.सी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan , R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri , Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel. : 91 265 2316640
Email:pension.ho@bankofbaroda.com

1. आपके पेंशन बचत खाते में पैन नंबर अद्यतन करना.
2. पेंशन भुगतानकर्ता शाखा को 25 जनवरी से पहले आपके द्वारा प्रस्तुत निवेश विवरण के साक्ष्य को उपलब्ध करना.
3. शाखाओं के यूनिट पेरोल सुपरवाइजर को पेंशनभोगी द्वारा पूर्व-कर्मचारी पोर्टल में प्रस्तुत निवेश साक्ष्य को प्राधिकृत करना होगा.

हम पेंशनभोगियों से अनुरोध करते हैं कि वे निवेश घोषणा और समय पर विवरण प्रस्तुत करने के लिए साथी पेंशनभोगियों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करें.

(एस कन्नन)
उप महाप्रबंधक (मासंप्र)
प्रधान कार्यालय
बड़ौदा

प्रधान कार्यालय, मानव संसाधन-परिचालन विभाग, बरौड़ा भवन, आर.अस नं 576, आर.सी दत्त रोड, अलकापुरी, बरौड़ा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan , R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri , Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel. : 91 265 2316640
Email:pension.ho@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Date: 10.05.2021

NOTICE TO ALL STAFF PENSIONERS

RE: Investment declaration for Income Tax calculations from BOB Staff Pensioner.

Considering the Tax Amendments introduced by the Government a few changes are being made in exercising Tax option and submission of investment declaration. Option to submit Investment declaration online through Ex-employee portal is being introduced. The Pensioner has to exercise his option for choosing old tax regime 2021 or new tax regime 2021.

Please note **once option is exercised**, those who have chosen old tax regime will have to submit Investment declaration and who have chosen new tax regime need not submit investment declaration.

The detailed guidelines regarding the tax regimes are available in Ex-employee portal.

Once the option is selected by the pensioner, it cannot be changed during the Financial Year for TDS calculations. In case No Option is exercised, it shall be presumed the old tax regime is continued.

The pensioner can submit investment declaration themselves online through Ex-employee portal and based on the same Income Tax would be calculated centrally at Head Office, Baroda.

URL:https://easiest.bobinside.com:8443/ex_empModule/Login.aspx which can be accessed over internet on PC/and on Android/IOS smart phones. Branches need not make any entry in Payroll Module.

The portal will be available for choosing option and to submit declaration till 25th of every month. After 25th the investment menu in ex-employee portal will be disabled and it would be made available from 02nd of the succeeding month. Accordingly Income Tax liability for deducting TDS will be calculated.

However, the pensioner will have to submit the proof of investment for declarations made in the portal to **pension paying branch** in the month of January .If the proof is not submitted the declaration submitted will be ignored and TDS on pension will be re-calculated for the entire financial year and deducted from pension payable from January to March.

Branches will have to ensure the following action points:

1. Updating PAN in your pension SB A/cs
2. Provide proof of the investment details made by you to the pension paying branch before 25th of January.
3. Unit Payroll supervisor of the branches has to authorize investment proof submitted by the pensioner in the ex-employee portal.

We request pensioners to guide and help fellow pensioners to submit the investment declaration and details are provided in time.

(S.KANNAN)
DEPUTY GENERAL MANAGER (HRM)
HEAD OFFICE
BARODA

प्रधान कार्यालय, मानव संसाधन-परिचालन विभाग, बड़ौदा भवन, आर.अस नं 576, आर.सी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007, भारत
Head Office, HRM, Baroda Bhawan , R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri , Baroda - 390 007, INDIA
फोन / Tel.: 91 265 2316640
Email:pension.ho@bankofbaroda.com